न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 15 / 2021

1–वीरेन्दसिंह पुत्र हरीराम
2–मनोज पुत्र बोदनसिंह
3–विकास पुत्र बोदनसिंह
} जाति जाट निवासी धानौता तहसील व जिला भरतपुर

....अपीलान्टान

बनाम

1–जयदेवसिंह
2–कन्हैयासिंह
3–जवाहरसिंह
4–किशनसिह
5–हरवीरसिंह
} पुत्रगण शोभाराम जाति जाट निवासी धानौता तहसील व जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार भरतपुर दिनांक 19.2.2021 अंतर्गत प्रकरण कमांक राजस्व / 2021 / 187

———

उपस्थितः–
1–श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री विजयसिह कुन्तल, अभिभाषक रेस्पो.

आदेश **दिनांक 31.5.2022**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर 19.2.2021 पेश की गई है। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.2.2021 में खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 903, 904 व 905 वाके ग्रांम धानौता में मनवट से बनाये गये 10 फुट चौडे रास्ते में वीरेन्द्रसिंह मनोज विकास द्वारा दो लोहे के गेट लगाकर बंद कर दिये के रास्ते को खुलवाने के लिये नायव तहसीलदार–1 भरतपुर को पत्र लिखा गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस द्वारा यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो की तलबी की गई तथा तहसीलदार भरतपुर से सम्बन्धित कार्यवाही पत्रावली तलब की गई। रेस्पो की ओर प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जवाब प्राथमिक आपत्ति अपीलान्ट की ओर से पेश किया गया। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति मे उठाये गये बिन्दू अपील की मैरिट को टच करने के कारण प्रारम्भिक आपत्ति में उठाये गये बिन्दूओं का निस्तारण अपील की मैरिट के साथ किया जा रहा है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने कथनों में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०.

बताया कि तहत न्यायालय ने अपीलार्थी के भूखण्ड मकान पुख्ता बाके ग्रांम धानौता में दक्षिण दिशा में होकर पूर्व से पश्चिम 10 फुट चौड़ाई में होकर रास्ता खोले जाने का आदेश दिया है। तहसीलदार ने आदेश देने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और ना हीं कोई निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया है। हमारे मकान में दक्षिण दिशा में होकर कोई रास्ता गली भी नहीं रहा है। योग्य अभिभाषक का यह तर्क है कि अपीलार्थी के मकान के पूर्वी दक्षिण कोने पर होकर 10 फुट चौडा रास्ता आगे निकला है जो जवाहरसिंह व जयदेव आदि उत्तरवादीगण के जमीन के दक्षिण दिशा में साहरे साहरे पश्चिम से पूर्व दिशा को जाता है इस रास्ते में अपीलार्थीगण का मकान का दरवाजा खुलता है जिस पर उनका लोहे का गेट लगा हुआ है अधीनस्थ यन्यायालय ने लोहे के गेट को रास्ता की भूमि में मानकर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। रास्ता खोलने के अधिकार धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कृषि भूमि पर होकर दिये गये हैं यह भूखण्ड चारों ओर से आबादी सें घिरा हुआ है तथा कोई कृषि भूमि नहीं है। उनका यह भी कथन है कि रास्तों को खोले जाने के संशोधित प्रावधान 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिये गये हैं जिनका क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को है। हमारे द्वारा कोई इकरारनामा नहीं किया है, तथाकथित इकरारनामा कतई फर्जी है उस पर हमारे कोई हस्ताक्षर नहीं है तथाकथित इकरारनामा कूटरचित एवं बनावटी है, उत्तरवादी ने फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तैयार किया है, अपीलार्थी कथित इकरारनामा से कतई पाबन्द नहीं है। रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय से मिल्लत कर नियम विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कराया है। अपीलार्थी ने कोई तथ्य नहीं छिपाया है तथा सिविल न्यायालय के कथित आदेश दिनांक 3.3.21 के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। उन्होने अपील की देरी से पेश करने के बाबत बताया कि अपीलाधीन आदेश की दिनांक 20.3.2021 को जानकारी होने पर नकल वगे. लेकर अपील बिना किसी देरी के पेश कर दी गई है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जावे। मैरिट पर निर्णय किया जावे। अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319, डीएनजे 2021(2) पेज 1449, आरआरटी 2003(1) पेज 241 उद्धरत किये गये।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपील की देरी को माफ करने के लिये कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. का यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित एक दावा सिविल न्यायाधीश भरतपुर के यहॉ पेश किया हुआ है जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा सिविल कोर्ट के निर्णय के वाद संपूर्ण तथ्यों का छिपाते हुये अपीलान्टान द्वारा यह अपील पेश की है अपील मेनटेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. का कथन है कि अपीलान्टान द्वारा अपनी पूर्ण सहमति से एक इकरारनामा दिनांक 18.7.2017 को तहरीर कर दिनांक 24.7.17 को नोटरी पब्लिक से तस्दीक करा दिया था जिसमें विवादित भूमि जो कि रिहायस एवं गैत वाडे के उपयोग व उपभोग में आ रही है का विभाजन भूमि के बतरफ दक्षिण 10 फुट चौडा रास्ता शामलाती रुप से अपीलान्टान व रेस्पो. द्वारा छोडा गया था जिसमें अपीलान्टान व रेस्पो.का आना जाना है। अपीलान्टान की बदनीयत होने से उन्होने रास्ता को गेट लगाकर अवरुद्व कर दिया है। तहत न्यायालय द्वारा सही कार्यवाही की है, अपील खारिज की जावे। वकील रेस्पो.

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

ने अपने तर्को के समर्थन में आरआरटी.(2)1110, एआईआर1994 पेज 853, आरआरडी 1999 पेज 221 उद्धरत किये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त पत्रादि पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 19.2.21 का अवलोकन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया ।
आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

> Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–
" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

इस प्रकार अपील की देरी को माफ करते हुये प्रकरण की मैरिट पर विचार किया गया। तथाकथित अपीलाधीन आदेश (पत्र) तहसीलदार भरतपुर राजस्व/2021/187 दिनांक 19–2–2021 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भरतपुर ने एक प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुये उक्त पत्र राजस्व/2021/187 दिनांक 19.2.2021 नायव तहसीलदार भरतपुर को लिखा गया है, जिसमें अंकित किया है कि :'–

> ".....भू अभि निरीक्षक वृत महुआ एवं पटवारी हल्का से जांच कराई गई मुताबिक जांच आ0ख0न0 903, 904, 905 ग्रंम धानौता में मु0 इकरारनामा के तीन प्लाट बनाये गये हैं प्लाट न. 1 जयदेव सिंह, कन्हैया, जवाहरसिंह, किशनसिंह हरवीरसिंह का है एवं प्लाट नं. 2 जवाहरसिंह का है एवं प्लाट न0 3 वीरेन्द्र सिंह, मनोज विकास का है। तीनों प्लाटों में मु0 नोटेरी तस्दीक इकरारनामा के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की तरफ 10 फुट आवागमन हेतु चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है। मौके पर ख.न. 903,904.905 में मनवट के आधार पर हुए सहमति बंटवारा द्वारा इकरारनामा में दर्शित 10 फुट चौड़ा रास्ता पर प्लाट न. 1 वीरेन्दसिंह, मनोज, विकास द्वारा लोहे के गेट लगाकर बंद कर रखा है तथा इस रास्ते का उपयोग इन लोगों के अलावा किसी अन्य लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस रास्ते को लेकर पारिवारिक सदस्यों में विवाद है। अतः आप दिनांक 4.3.2021 को थानाधिकार पुलिस थाना सेवर से पर्याप्त महिला व पुलिस बल प्राप्त कर उपरोक्त रास्ते को खुलवाया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें.....।"

तहसीलदार के पत्र कमांक/राजस्व/2021/187 दिनांक 19.2.2021 से जाहिर आता है कि तहसीलदार भरतपुर ने प्रशासनिक कार्यवाही करते हुये नायव तहसीलदार–1 भरतपुर को निर्देश दिये गये है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा उक्त पत्र प्रशासनिक कार्यवाही के तहत जारी जारी किया गया है जो न्यायिक आदेश ना होकर Administrative order है। जिन्हें न्यायिक आदेश नहीं माना जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नियम 76 में No appeal lies against an administrative order. के प्रावधान के अनूसार अपील खारिज योग्य रहती है। रेस्पो की ओर से प्रस्तुत नकल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्टान ने इसी विवादित आराजी के रास्ते, इकरारनामा एवं तहसीलदार भरतपुर के आदेश

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०.

को लेकर माननीय सिविल न्यायालय में चाराजोही की हुई है। माननीय सिविल न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. दिनांक 3.3.2021
को खारिज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त तथ्यों का उल्लेख अपील में नही किये जाने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने यह अपील क्लीन हेन्ड से पेश नहीं की है। पत्रावली में उपलब्ध नकल से स्पष्ट है कि उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्ट ने अपील माननीय जिला न्यायाधीश महोदय भरतपुर के न्यायालय में पेश की हुई है। उक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट है कि विवादित रास्ता उभय पक्षकारान ने आपसी सहमति इकरारनामा के आधार पर बनाया/खोला गया है। तथाकथित इकरारनामा की वैधता एवं रास्ते को लेकर सक्षम न्यायालय माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है। साथ ही तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे जांच करें कि क्या उभय पक्षकारान द्वारा रिहायसी निर्माण कृषि भूमि में किया है, अगर ऐसा पाये जाता है तो नियमानुसार भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90ए के तहत कार्यवाही करे।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापिस तहसीलदार भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर